प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

Ref. No.:- 238/क्षे०-170/NGT/2023 Date:- 04/10/2023

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Regarding submission of factual and action taken report of Joint Committee with respect to Order dated 03.08.2023 Passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 476 of 2023, Hriday Narayan Mishr V/s State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 03.08.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 476 of 2023, Hriday Narayan Mishr V/s State of Uttar Pradesh, Please find attached herewith factual and action taken report of Joint Committee for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Prakhar Kumar)
Regional Officer

प्रखर कुमार
क्षेत्रीय अधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बस्ती

(PC-1) D:\UPPCB DATA\PR .... MAR, RO\LETTER 25072023

Factual and Action Taken report regarding order dated 03 08.2023 Passed by Hon'ble NGT on O.A. No 476 | 2023 (Hriday Narayan Mishra V/S State of U.P.).

Pursuant to the direction given by Hon'ble NGT order dated 03.08.2023. The main relevant contents of the order are as under-

"......1. The grievance in the present application is regarding running of brick klin in the name of M/s Vaibhav Bricks Field in Village Pikora (Tenui), Post Office Tinich, Tehsil Haraiya, District Basti, Uttar Pradesh by Ram Prakash Shukl son of Late Shri Krishan Narayan Shukl resident of Ramvapur, Kharagbahadur Sahi, Police Station Gaur, Tehsil Haraiya, District Basti in violation of siting criteria and environmental norms without obtaining NOC from the concerned authorities causing environmental pollution posing health hazards to the residents of the locality and also affecting the livestock and agriculture.

3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Basti and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

In compliance of the above order the following officials from the offices District Magistrate, Basti, U.P. Pollution Control Board, Basti as well as associate the applicant and representative of M/s Vaibhav Brick Field, Village-Pikora(Tenui), Post Office-Tinich, Teh.-Harraiya, Basti visted the place mention in the order on dated 03-08-2023-

(i)	Shri Gyan Prakash Tripathi	Chief Revenue Officer , Basti.
(ii)	Shri Gulab Chandra II	SDM Harraiya, Basti.
(iii)	Shri Prakhar Kumar	R.O. U.P.P.C.B. , Basti
(iv)	Shri Arun Kumar Srivastava	Scientific Assistant, U.P.P.C.B., Basti

(v)	Shri Krishna Chandra Chaudhary	Lekhpal, Tehsil-Harraiya, Basti
(vi)	Shri Hriday Narayan Mishra	Applicant
(vi)	Shri Agya Ram	Munsi(M/s Vaibhav Brick Field, Village Pikora(Tenui), Post office -Tinich, Teh. Harraiya, Basti).

The joint committee inspected the brick klin M/s Vaibhav Brick Field, Village-Pikora(Tenui), Post Office-Tinich, Teh.-Harraiya, Basti on dated 29.08.2023. the factual and action taken report are as below:-

1- M/s Vaibhav Brick Field has established at Village-Pikora (Tenui), Post Office-Tinich, Teh.-Harraiya, Basti on latitude-26.857649 & longitude-82.643462.

2- The proprietor of above brick klin is Shri Ram Prakash Shukla.

3- The above questioned brick klin has not been obtained prior CTE(Consent to Established) for establishment and not obtained CTO (Consent to Operate) for operation of brick klin from U.P.P.C.B.

4- The questioned brick klin is not following U.P. Brick Klin(Siting criteria for establishment) Rules, 2012 as.

a) Distance of nearest habitants Village-Pikora is approximate 120 meter from stack of questioned brick klin. Which is less then 1k.m.

b) Distance of religious place Temple Tenui is approximate 200 meter from questioned brick klin and masjid approximate 400meter from questioned brick klin. Which are less then 1k.m.

c) Distance of nearest school is approximate 250 meter from questioned brick klin. Which is less then 1k.m.

d) Distance of PWD road is approximate 150 meter from questioned brick klin. Which is less then 200meter.

(All distances are measured through Google map from stack of brick klin.)

5- Show cause notice has been issued to M/s Vaibhav Brick Field Village-Pikora(Tenui), Post Office-Tinich, Teh.-Harraiya, Basti vide letter no.- H97652/ Circle-6/Ent Bhattha/188/Ka.Ba.No./Basti/2023 dated 13-07-2023 from UPPCB, Lucknow. **(Annexed as Annexure-I).**

6- M/s Vaibhav Brick Field Village-Pikora(Tenui), Post Office-Tinich, Teh.-Harraiya, Basti has not replied show cause notice in stipulated time.

7- M/s Vaibhav Brick Field Village-Pikora(Tenui), Post Office-Tinich, Teh.-Harraiya, Basti has issued closure order vide letter no.-H98998/Circle-6/Ent Bhattha/188/Bandi Aadesh/Basti/2023 dated 08-08-2023 **(Annexed as Annexure-II).**

8- During inspection of committee, said brick klin was found closed.

9- During the inspection applicant has submitted the statement to joint committee**(Annexed as Annexure-III).**

10- Photographs of inspection of said brick klin is **annexed as annexure-IV.**

A factual and action taken report is being submitted for kind perusal and further action in this regard.

(Krishna Chandra Chaudhary) Lekhpal Harraiya, Basti	(Arun Kumar Srivastava) Scientific Assistant UPPCB, Basti	(Prakhar Kumar) Regional Officer UPPCB, Basti

SDM(H)

(Gulab Chandra II) SDM, Harraiya Basti	(Gyan Prakash Tripathi) Chief Revenue Officer Basti

Annexure-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक......... /वृत्त–6/ईंट भट्ठा/188/का0व0नो0/बस्ती/2023 दिनॉक: 13-7-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड,
ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया,
जनपद–बस्ती।

यह कि मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 15,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा उत्पादनरत पाया गया। प्राप्त सूचनानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना/संचालन वर्ष 2022 है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्ठे के चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–पिकौरा स्थित है। ईंट भट्ठा के चिमनी से पश्चिम दिशा में लगभग 150 मी0 की दूरी पर ग्राम–तेनुई मंदिर चौराहा स्थित है। ईंट भट्ठा के चिमनी से उत्तर दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम–इमीलडिहा स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 01 किमी0 की दूरी पर ग्राम–हरदी स्थित है। ईट भटठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा स्थल (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईंट भट्ठे की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जन–हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अर्न्तगत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1 यह कि क्यों न मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय।
2 यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्ठे मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती को खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अर्न्तगत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1 जिलाधिकारी, बस्ती।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती
4 जिला खान अधिकारी, बस्ती।
5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ कि 15 दिन मे ईट भटठे का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Annexure-II

उ.प्र. 24/8/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक 498948 वृत्त–6 / ईंट भट्ठा / 188 / बन्दी आदेश / बस्ती / 2023 दिनांक 2-8-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड,
ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया,
जनपद–बस्ती।

यह कि मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 15,000 ईंट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.07.2023 को किया गया। प्राप्त सूचनानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना/संचालन वर्ष 2022 है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्ठे के चिमनी से पूरब दिशा मे लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–पिकौरा स्थित है। ईंट भट्ठा के चिगनी से पश्चिम दिशा में लगभग 150 मी0 की दूरी पर ग्राम–तेनुई मंदिर चौराहा स्थित है। ईंट भट्ठा के चिमनी से उत्तर दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम–इमीलडिहा स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 01 किमी0 की दूरी पर ग्राम–हरदी स्थित है। ईट भटठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा स्थल (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है

यह कि ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईंट भट्ठे में फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यनुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भटठे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

यह कि ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जन–हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्ठे मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भटठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती
4. जिला खान अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

बयान

मेरा नाम हृदय नरायण मिश्र ग्राम परासडिह पोस्ट गौर तहसील हरैया जिला बस्ती का रहने वाला हूँ। पिकौरा गाँव के बगल में ईट का भटटा जो मेसर्स वैभव ब्रिक्श फिल्ड ग्राम पिकौरा (तेनूई) पोस्ट टिनिच तहसील हरैया जिला बस्ती स्थित है उक्त ईट भट्टे के लगभग 150 मी० के पश्चिम प्राथमिक विद्यालय स्थित है तथा विद्यालय के थोड़ी ही दूर पर आम के बाग स्थित हैं जिसके प्रोपराईटर राम प्रकाश शुक्ल पुत्र स्व० कृष्ण नरायण शुक्ल ग्राम रमवापुर खडगबहादुर साही थाना गौर त० हरैया जिला बस्ती है। उक्त भट्टे का संचालन भट्ठा पोप्राइटर द्वारा ईट भटटे का संचालन बिना सहमति के किया जा रहा है जो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचालन किया जा रहा हैं भट्ठे के बगल से टिनिच से दुबौला मार्ग संचालित होता है जिससे होकर अधिकांश लोग गुजरते है जो उ०प्र० ईट भटटा स्थापना हेतु स्थल माप दण्ड नियमावली 2012 के नियम विरुद्ध है। उपरोक्त भटटे का संचालन बिना नियमावली 2012 के अनुपालन किया जा रहा है। जिससे हम ग्रामवासियों व जीव जन्तुओं को पर्यावर्णीय क्षति पहुच रही हैं जो मानव स्वास्थ के लिये ठीक नही है ईट भट्ठे के प्रोपराईटर द्वारा न ही मजदूरो को रहने व न ही उनके लिये पीने का पानी व न ही समुचित आवास मुहैया कराया गया है। उपरोक्त भटटे पर 10 या 12 साल के नाबालिग बच्चो द्वारा लेवर का कार्य कराया जा रहा है और ईट भटटे पर मजदूरो द्वारा अपमिश्रित शराब भी बनाया जा रहा है जिससे उपरोक्त ईट का भटटा शराबियो का अड्डा बन गया है। जिससे क्षेत्र वासियो मे काफी असन्तोष व डर की भावना व्याप्त है।

हृदय नरायण
29-8-2023

Annexure-IV

O.A. No. - 476/2023 Hriday Narayan Mishr v/s State of U.P.

Latitude: 26.857994
Longitude: 82.643222
Elevation: 77.04±37 m
Accuracy: 15.3 m
Time: 08-29-2023 13:46
Powered by NoteCam

Latitude: 26.857815
Longitude: 82.643185
Elevation: 89.54±100 m
Accuracy: 44.8 m
Time: 08-29-2023 13:33
Note: Vaibhav brick field
Powered by NoteCam

Latitude: 26.857594
Longitude: 82.643755
Elevation: 93.24±33 m
Accuracy: 10.1 m
Time: 08-29-2023 13:47
Powered by NoteCam